महत्वपूर्ण एवं खास

कलेक्टर न्यायालय में 15 एवं 16 अप्रैल की सुनवाई आगामी आदेश तक स्थगित

न्याय साक्षी/रायगढ़। न्यायालय कलेक्टर, रायगढ़ के समक्ष अत्यावश्यक प्रकरणों की सुनवाई दिनांक 15, 16 अप्रैल 2020 को किए जाने हेतु संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी किया गया है। कोरोना वायरस (कोविड-19)के संक्रमण के रोकथाम हेतु शासन द्वारा लॉकडाउन को आगे बढ़ाया गया है, इसलिए उक्त दिनांकों को होने वाली अत्यावश्यक प्रकरणों की सुनवाई स्थगित कर दी गई है। उक्त प्रकरणों की सुनवाई के लिए आगामी पेशी दिनांक की जानकारी पृथक से जारी की जाएगी।

ई-पास जारी करने का प्रभार अपर कलेक्टर आर.ए.कुरुवंशी को

न्याय साक्षी/रायगढ़। नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण के रोकथाम हेतु पूरे विश्व में लॉक डाउन किया गया है तथा रायगढ़ जिले में धारा 144 प्रभावशील है। शासन के ई-पास पोर्टल के द्वारा ई-पास जारी करने के कार्य हेतु अपर कलेक्टर राजेन्द्र कुमार कटारा को अधिकृत किया गया था। जिसका प्रभार अपर कलेक्टर आर.ए.कुरुवंशी को सौंपा गया है।

21 अप्रैल तक बंद रहेंगे जिले के सभी मदिरा दुकानें, रेस्टॉरेंट एवं होटल बार

न्याय साक्षी/रायगढ़। नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं आमजन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर (आबकारी)विभाग के आदेशानुसार कलेक्टर यशवंत कुमार ने संपूर्ण रायगढ़ जिला में 15 अप्रैल से 21 अप्रैल 2020 तक जिले के समस्त देशी मदिरा (सी.एस.-2 घघ),विदेशी मदिरा (एफ.एल.-1 घघ)दुकानें, भण्डारण भाण्डागार तथा समस्त रेस्टोरेन्ट एवं होटल बार को पूर्ण रूप से बंद रखे जाने हेतु शुष्क अवधि घोषित किया है। कलेक्टर ने उक्त दिवसों में मदिरा के विक्रय एवं परिवहन पर पूर्णतः प्रतिबंधित किया है और संबंधित अधिकारी को इस आदेश का कड़ाई से पालन करने हेतु निर्देशित किया है।

शराब पीने के लिए पैसा मांगा नहीं देने पर हुई पिटाई

रायपुर (आरएनएस)। लाकडाउन के दौरान भी नशेड़ियों द्वारा खुलेआम नशा करने के लिए शांतिप्रिय लोगों को सताने का क्रम जारी है। इसी क्रम में टिकरापारा थाने से मिली जानकारी के अनुसार ऋषभ बघेल आयु 17 वर्ष पिता विजय बघेल निवासी दुर्गापारा टिकरापारा से आरोपी राहुल नागरची देवमणी टाटी एवं उसके साथियों द्वारा दारू पीने के लिए फोकट में पैसा मांगा गया। पैसा नहीं देने पर आरोपियों ने ऋषभ की जमकर पिटाई की। गाली गलौज करते हुए उसके शरीर के नाजुक अंगों को चोट पहुंचाई। उक्त मामले में टिकरापारा थाने ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 294, 506, 323 एवं 34 के तहत मामला दर्ज किया है।

144 का उल्लंघन, 5 के खिलाफकार्रवाई

महासमुंद (आरएनएस)। धारा 144 के उल्लंघन पर पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक वार्ड 28 मौहारीभाटा पानी टंकी के दिनेश चंद्राकर पिता गजानंद चंद्राकर (27), कुमार दास मानिकपुरी पिता लाल दास मानिकपुरी (22), गुड्डू यादव पिता मेहतर यादव (19), होरीलाल ढीमर पिता दारयाल ढीमर (40), राम कुमार धीवर पिता नरेंद्र (21) सभी बिना मास्क लगाए, बिना कारण बैठे मिले। सभी के विरुद्ध धारा 188, 34 के तहत अपराध दर्ज कर रिमांड पर भेजा गया है।

धारा 144 का उल्लंघन करने पर हुई गिरफ्तारी

रायपुर (आरएनएस)। कोरोना वायरस की त्रासदी को लेकर जिला कलेक्टर द्वारा धारा 144 संपूर्ण जिले में लगाई गई है। वहीं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लाक डाउन जारी है। बावजूद इसके कुछ लोग लापरवाहीपूर्वक सड़कों पर घूमकर न केवल लाकडाउन में 144 का उल्लंघन कर रहे हैं बल्कि लोगों के लिए भी परेशानी का सबब बन रहे हैं। राजेंद्र नगर थाने से मिली जानकारी के अनुसार बलभद्र दीप आयु 65 वर्ष पिता बेनूधर दीप, कृष्णा तांडी एवं उसके अन्य साथियों द्वारा बीएसयूपी कालोनी अमलीडीह में बेवजह घूमते पाये जाने पर उसके खिलाफ थाने ने आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला कायम कर उसे गिरफ्तार किया है।

रेलवे मंत्रालय का ऐलान : यात्री ट्रेनों का संचालन 3 मई तक रद्द

» दपूमरे के रायपुर मंडल ने भी की निर्णय की पुष्टि

» आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई बनाए रखने चल रही केवल मालगाड़ियां

रायपुर (आरएनएस)। आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देशभर में जारी लॉकडाउन को 03 मई तक बढ़ाने की घोषणा किए जाने के बाद से ही लॉकडाउन को और सख्त कर दिया गया है। इधर रेलवे ने भी 03 मई तक देशभर में ट्रेन सुविधा को बंद रखने का ऐलान कर दिया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज जैसे ही कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए देशभर में जारी लॉकडाउन को 03 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया वैसे ही रेलवे मंत्रालय ने भी अपनी रणनीति में बदलाव कर दिया। रेलवे मंत्रालय ने पीएम श्री मोदी के संबोधन के ठीक बाद अपने ट्वीटर एकाउंट में एक पोस्ट जारी किया जिसमें देशभर में चलने वाली सभी पैसेंजर, प्रीमियम, मेल, एक्सप्रेस, मेट्रो सेवा व अन्य यात्री ट्रेनों को 03 मई तक कैंसल रखने का ऐलान कर दिया है। पूर्व में रेलवे मंत्रालय द्वारा 14 अप्रैल को खत्म हो रहे लॉकडाउन को देखते हुए यह रणनीति बनाई थी कि यदि कुछ चुनिंदा ट्रेन सेवा को जारी रखने का ऐलान किया जाता है तो ऐसी स्थिति में भी रेलवे मंत्रालय इसके लिए तैयार रहे। इसके लिए रेलवे संचालन से जुड़े सभी विंग्स, लोकोपॉयलट आदि को रेडी रखा गया था। लेकिन आज पीएम श्री मोदी के द्वारा 03 मई तक देश में लॉकडाउन जारी रखने के ऐलान के बाद मंत्रालय ने अपनी रणनीति में बदलाव किया और लॉकडाउन के मद्देनजर यात्री ट्रेन की सुविधा को भी 03 मई तक कैंसल कर दिया है। वर्तमान में केवल आवश्यक वस्तुओं के परिवहन के लिए रेलवे द्वारा मालगाड़ियों का संचालन किया जा रहा है। इससे देशभर में आवश्यक वस्तुओं, खाद्य पदार्थों, दवाईयों आदि की सप्लाईचेन बनी रहे। मंत्रालय ने इस सप्लाई चेन को और मजबूत बनाते हुए हर स्तर पर अपनी तैयारियां मजबूत कर रखी है। 03 मई तक यात्री ट्रेनों को स्थगित रखे जाने की पुष्टि आज रायपुर रेल मंडल द्वारा भी कर दी गई है।

रेल मंडल ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए बनाया डिसइन्फेक्शन टनल

रायपुर रेल मंडल ने रेल कर्मियों की सुरक्षा की दृष्टि से खास तरह की फ्यूमिगेशन टनल बनाई है। डिसइन्फेक्शन टनल का निर्माण कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए किया गया है। कोरोना से बचाव के लिए बनाई टनल द्वारा पूरी बॉडी डिसइन्फेक्शन होगी। टनल एंट्री गेट से आउट गेट तक जाने में रेल कर्मी डिसइन्फेक्शन हो जाएंगे। रेल मंडल सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रेल मंडल में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के किये कार्यालयों,उपक्रमों डिपो, पीपी यार्ड, बीएमवाय सिक लाइन, बीएमवाय यार्ड, एक्सचेंज यार्ड, दुर्ग, लोको पायलेट, गार्ड लॉबी, आवश्यक कार्यों को करने वाले रेल कर्मियों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु डिसइन्फेक्शन टनल लगाए हैं।

दपूमरे से चल रही विशेष पार्सल ट्रेन दुर्ग-छपरा-दुर्ग की समय सारणी में परिवर्तन

देशभर में जारी लॉकडाउन के बीच आवश्यक वस्तुओं जैसे खाद्य सामग्री, दवाएं, चिकित्सा आपूर्ति, चिकित्सा उपकरण, खाद्य तेल, आदि आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करने हेतु रेलवे प्रशासन द्वारा चलाई जा रही पार्सल स्पेशल को सम्बन्धितों की सुविधा व मांग को ध्यान में रखते हुए समय सारणी में परिवर्तन कर परिचालन अवधि में विस्तार किया गया हैं। गाड़ी संख्या 00875 दुर्ग -छपरा पार्सल स्पेशल 15,18,20, 24 अप्रैल को दुर्ग से 21:00 बजे रवाना होकर रायपुर 21:45 बजे उसलापुर 23:45 होते हुए छपरा अगले दिन 17:00 बजे पहुंचेगी । गाड़ी संख्या 00876 छपरा दुर्ग पार्सल स्पेशल दिनांक 17 ,20, 22, 26 अप्रैल को छपरा से 8:00 बजे रवाना होकर अगले दिन उसलापुर 1:20 बजे रायपुर 3:05 बजे दुर्ग 4:00 बजे पहुंचेगी। गाड़ी संख्या 00875/ 00876 दुर्ग -छपरा - दुर्ग गाड़ी का ठहराव दोनों दिशाओं में रायपुर, उसलापुर, पेण्ड्रारोड, अनूपपुर, शहडोल, कटनी, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी स्टेशनों में दिया गया है। पार्सल ट्रेन के माध्यम से वस्तुओं के परिवहन हेतु इच्छुक पार्टियां इस सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाएं 7 आवश्यक सामग्री की अग्रिम बुकिंग हेतु मुख्य वाणिज्य निरीक्षक पार्सल रायपुर रेल मंडल से फोन पर विस्तृत जानकारी ले सकते हैं।

आवश्यक एवं गैर-आवश्यक माल परिवहन एवं मालवाहनों की आवाजाही के संबंध में दिशा-निर्देश जारी

» कलेक्टर यशवंत कुमार ने पुलिस और परिवहन विभाग के लिए जारी किए निर्देश

न्याय साक्षी/रायगढ़। आवश्यक तथा गैर आवश्यक माल परिवहन तथा मालवाहनों के आवाजाही के संबंध में कलेक्टर यशवंत कुमार ने पत्र के माध्यम से पुलिस व परिवहन विभाग के लिए निर्देश जारी किये हैं। पत्र में गृह मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देशों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि दोनों विभागों के मैदानी प्रवर्तन अमले द्वारा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए। जिससे छूट प्राप्त कार्यों का बाधारहित संचालन हो सके।

पत्र में उल्लेखित है कि आवश्यक एवं गैर-आवश्यक वस्तुओं के परिवहन कर रहे मालवाहनों को राज्य के भीतर एवं अंतर्राज्यीय मार्ग में एक चालक और एक अतिरिक्त व्यक्ति के साथ चलने की अनुमति है। माल वाहक के पास वैध ड्रायविंग लायसेंस होना आवश्यक होगा, परंतु वाहन संचालन हेतु पृथक से किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। माल उठाये जाने के समय अथवा माल की डिलीवरी पूर्ण करने के पश्चात वापसी के समय माल वाहनों को लदान रहित संचालन करना पड़ता है, अतः लदान रहित माल वाहनों को नही रोका जाए, बशर्ते उनके पास वैध दस्तावेज हो जैसे ड्रायविंग लायसेंस और परमिट इत्यादि। स्थानीय प्रशासन के द्वारा ट्रक चालक एवं क्लीनर को उनके निवास स्थान से उनके ट्रकों के स्थान तक आवाजाही हेतु सक्रिय रूप से सुविधा प्रदान की जाए। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य शासन एवं स्थानीय प्रशासन के द्वारा कोविड-19 के प्रसार को रोकने हेतु प्रतिबंधित किए गए रोकथाम, क्वारेंटाईन और निगरानी उपायों (हॉटस्पाट)की आवश्यकता वाले क्षेत्रों पर यह निर्देश लागू नहीं होंगे। यह स्पष्ट किया जाता है कि व्यक्तियों और वाहनों की आवाजाही के दौरान कोविड-19 के संदर्भ में स्वच्छता और सोशल डिस्टेंसिंग के मानदण्डों को कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाना है।

जरूरी नहीं होने पर कर्मचारियों को 3 मई तक पुलिस मुख्यालय न बुलाएं : पुलिस महानिदेशक

» 24 मार्च को लॉक डाउन के बाद बनाई गई व्यवस्था 3 मई तक बढ़ाई गई

रायपुर (आरएनएस)। पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने निर्देश जारी किए हैं कि आगामी 3 मई तक पुलिस मुख्यालय उन्हीं कर्मचारियों को बुलाया जाए जिनकी बहुत आवश्यकता हो। शेष कर्मचारियों को यथासंभव जब तक आवश्यक नहीं हो पुलिस मुख्यालय न बुलाया जाए। आदेश में कहा गया है कि 24 मार्च को लॉक डाउन के उपरांत जो व्यवस्था लागू की गई थी उसे 3 मई तक बढ़ाया जाता है। सभी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और इनसे वरिष्ठ अधिकारी महत्वपूर्ण कार्य अपने निज स्टाफ के माध्यम से कार्य सम्पादित करेंगे। आदेश में कहा गया है कि अधिकारी आवश्यक होने पर पुराना पुलिस मुख्यालय स्थित गुप्तवार्ता एवं एसआईबी बिल्डिंग का उपयोग शासकीय कार्य के लिए कर सकते हैं।

उल्लेखनीय है कि 24 मार्च 2020 को लॉकडाउन के उपरांत आदेशित व्यवस्था के तहत कोई भी पुलिस अधिकारी-कर्मचारी बिना डी.जी.पी. की अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे और ना ही घर से बाहर जाएंगे। सभी घर मे रहकर ही शासकीय कार्य का सम्पादन करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर अधिकारी-कर्मचारी को कार्यालय में उपस्थित होने को निर्देशित किया जा सकता है। डी.जी.पी. ने इस अवधि में मोबाइल चालू रखने के निर्देश दिए हैं। जिन शाखाओं में उपस्थिति अनिवार्य हो वहां कम से कम लोगों की पालियों में ड्यूटी लगाने निर्देशित किया गया है। कार्यालय बुलाये जाने की स्थिति में भीड़-भाड़ से बचकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग नहीं कर स्वयं के साधन से आने को कहा गया है। अवस्थी ने निर्देश दिए हैं कि कार्यालय आने वाले मास्क लगाकर और हाथों को सैनेटाइज कर ही कार्यालय में प्रवेश करें। सम्पूर्ण उपस्थिति अवधि में मास्क लगाए रखने और समय-समय पर हाथों को साबुन-हैंडवॉश-सेनेटाइजर से धोने के निर्देश दिए गए हैं।

गेंहू की 80 फीसदी कटाई पूरी, अब धान की बारी

महासमुंद (आरएनएस)। रबी सीजन में गेंहू की करीब 80 फीसदी कटाई पूरी होने के बाद अब किसानों को धान फसल कटाई का इंतजार है। आगामी पखवाड़ेभर के भीतर धान की फसल पककर तैयार हो जाएगी जिसकी कटाई के लिए किसानों ने तैयारी शुरू कर दी है।

लॉकडाउन के बाद से किसान फसल कटाई को लेकर चिंतित थे। लेकिन राज्य शासन के द्वारा फसल कटाई के लिए दी गई राहत के बाद किसानों को भी राहत मिली। रबी गेंहू की फसल की कटाई शुरू की गई। इसके लिए हार्वेस्टर के साथ मजदूरों से भी सहयोग लिया गया। आधुनिक तरीके से हुई कटाई के कारण माहभर के भीतर ही जिले में गेंहू की 80 फीसदी कटाई हो गई है और शेष 20 फीसदी फसल ही शेष है।

विधायक मोहित ने परिवार सहित खुद को किया क्वांरटाईन

कोरबा (आरएनएस)। कोरोना संक्रमित युवक के संपर्क में आने वाले क्षेत्र के विधायक मोहित राम ने परिवार व स्टाफसहित खुद को एहतियातन क्वांरटाईन कर लिया है। दरअसल जिले के कटघोरा में तबलीगी जमात में शामिल हुए लोगों में कोरोना संक्रमण का प्रकोप देखा जा रहा है। इस इलाके सहित पूरे कोरबा में सर्तकता बरती जा रही है। इस दौरान विधायक एक युवक के संपर्क में आए थे जो बाद में कोरोना संक्रमित पाया गया है। जानकारी के अनुसार एक अप्रैल को विधायक मोहित राम अपने क्षेत्र में कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे थे, इसी दौरान एक पार्षद पति भी वहां पहुंचा था जिसको लक्षण मिलने के बाद जांच के लिए कहा गया था।

हाथियों के दल ने खिरसाली में जमकर मचाया उत्पात

» केला-सब्जियों व बाड़ी को पहुंचाया नुकसान

महासमुंद (आरएनएस)। 23 हाथियों के दल ने शनिवार-रविवार रात खिरसाली में जमकर उत्पात मचाया। धान को नुकसान पहुंचाते हुए घरों में घुस गए। एक ग्रामीण की बाड़ी में केला के पेड़ को तहस-नहस कर दिया। हाथियों के लगातार दूसरे दिन आमद से ग्रामीण रतजगा करते रहे।

जानकारी के मुताबिक छताल जलाशय के पास निकलकर रात करीब 12 बजे हाथियों का दल धान को नुकसान पहुंचाते हुए खिरसाली में गली से गुजरते हुए गंगाराम ध्रुव की बाड़ी में पहुंच गए। हाथियों की आवाज सुनकर ग्रामीण जाग गए। करीब एक घंटे तक हाथी आसपास की बाडियों में ईट से किए घेरा को तोड़ते हुए केला पेड़, डिलीवरी पाइप और सब्जियों को रौंद दी। गंगाराम की बाड़ी घर से लगा है। परिवार के लोग हाथियों को देख सहम गए और रातभर सो नहीं पाए। सुबह गांववालों को इसकी जानकारी हुई। बहरहाल, इन हाथियों का लोकेशन रविवार शाम को रानी खोल खिरसाली के पास रहा।

मदद करने दिव्यांग्यता आड़े नहीं आई, शारीरिक सेवा न सही दान राशि दे कर निभाया फर्ज

रायपुर (आरएनएस)। सोशल मीडिया से लगातार जुड़े रह कर देश दुनिया की जानकारी हासिल करने वाले शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला माना बस्ती के शिक्षक नरेन्द्र मिश्रा वाणिज्य के छात्रों को पढ़ाते हैं। जन्म के 9 महीने बाद वे पोलियो से ग्रस्त हो गए थे। वे शारीरिक रुप से 90 प्रतिशत दिव्यांग है। बचपन से मुश्किलों में जीने वाले नरेन्द्र मिश्रा कोरोना महामारी के संकट की ऐसी स्थिति में काफी संवेदनशील और भावुक हैं। वे कहते हैं छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी सरकार ने समय रहते काफी अच्छा कदम उठाया और कोरोना महामारी को नियंत्रित करने में काफी प्रभावी कदम उठाया है। इसके कारण हमारा राज्य काफी सुरक्षित है।

नरेन्द्र मिश्रा कहते हैं कि आज जो हालात है उससे मन द्रवित होता है। ऐसे में जो रोज काम कर अपना पेट भरते हैं उनके लिए ये सबसे बड़े मुश्किल भरे दिन हैं। दिव्यांग होने के कारण वे घर से बाहर निकल कर लोगों की मदद तो नहीं कर सकते हैं। किन्तु जैसे ही उन्हें व्हॉट्सग्रुप से पता चला कि रायपुर के कलेक्टर डॉ. एस. भारतीदासन ने जरुरतमंदों के लिए रायपुर शहर के दानदाताओं से राशन के राहत पैकेट या उसके मूल्य के बराबर की राशि सहयोग के रुप में देने की अपील की है तो उन्होंने तुरंत जिला प्रशासन की डोनेशन ऑन व्हील्स को फोन कर 21 सौ रुपए नगद दान दिया। हिन्दी साहित्यकारों और धार्मिक पुस्तकों का नियमित अध्ययन करने वाले नरेन्द्र मिश्रा ने राजातालाब स्थित अपने घर में एक छोटी सी लाईब्रेरी बना रखी है। जिसमें लगभग सौ किताबें है। माना के स्कूल में वे कक्षा 11 व 12 के छात्रों को पढ़ाते हैं। इन दिनों वे 11वी में प्रमोट हुए छात्रों को स्कूल बंद होने के कारण व्हॉट्स अप के माध्यम से 3-3 मिनट के वीडियों बना कर छात्रों को पढ़ा रहे हैं। वे एक अध्याय के लिए 4 वीडियों बना चुके हैं। उनके साथ उनकी शाला के 2 और शिक्षक भी अपने छात्रों को मोबाईल के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। पर इस तरह का पढ़ाने की यह अभी शुरुआत भर है। जैसे जैसे अनुभव होगा वे और बेहतर ढ़ंग से पढ़ा सकेंगे। वे एक दिव्यांग सगंठन सक्षम से भी जुड़े हुए हैं। इस संगठन के माध्यम से वे कई ऐसे दिव्यांगों को जीवन के प्रति लगातार प्रेरित करते हैं जो अपनी जिन्दगी एक कमरे में ही बिता देते हैं।

प्रदेश सरकार प्रत्येक राशन कार्ड धारियों के खाते में 5000 जमा कराए

कोरबा (आरएनएस)। सामाजिक कार्यकर्ता विनोद सिन्हा ने बताया कि प्रदेश सरकार प्रत्येक राशन कार्ड धारियों के खाते में 5000 जमा कराए ताकि लॉक डाउन के समय जरूरी सामान खरीदा जा सके। सिन्हा ने आगे बताया लॉक डाउन के दौरान देशभर के सभी प्रदेश सरकारें 1000 से 5000 तक राशन धारियों के या जनधन खाते में जमा कराई जा रही है लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अब तक गरीबों के खाते में केवल 2 महीने का चावल यानी प्रति माह 35-35 रुपए कुल राशि 70 का ही सहायता दी गई है जो अपर्याप्त है ।लॉक डाउन के दौरान सभी गरीब कार्ड धारियों के लिए चावल के अतिरिक्त आटा, दाल, सब्जी, तेल, मसाला, दूध, शक्कर, ब्रेड, बिस्किट जरूरी सामान आवश्यक है जो नहीं मिल पा रही है। सिन्हा ने आगे बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा बिजली बिल वसूली के लिए जो फरमान जारी किया गया है उसे वापस लेते हुए 3 माह का बिजलीए पानी का बिल माफ किया जाए ताकि गरीबों को राहत मिल सके।

बैंक सखियों ने घर-घर जाकर जरूरतमंदों की सहायता की

गरियाबंद (आरएनएस)। कोविड-19 वायरस के संक्रमण को रोकने जहां शासन-प्रशासन सजग और सतर्क है। वहीं इस दौरान जिले में बिहान की बहनें अपनी सजगता और समर्पण का परिचय दे रही हैं। बिहान की इन महिला समूहों द्वारा कपड़े के 36 हजार से अधिक मास्क बनाकर जिला प्रशासन को सौंपा गया है। इससे उन्हें 4 लाख 32 हजार रूपये का आय भी अर्जित हुआ। लॉकडाउन के दौरान महिला समूहों का यह प्रयास कोविड-19 की लड़ाई से बचने में मद्दगार साबित हुआ है। वहीं बैंक सखियों द्वारा भी घर-घर जाकर सरकार की योजनाओं से प्राप्त राशि का वितरण किया जा रहा है। संकट की इस घड़ी में बिहान की बहने वारियर की भूमिका बखूबी निभा रही है।

जिला पंचायत के सीईओ विनय लंगेह ने बताया कि कलेक्टर श्याम धावड़े के मार्गदर्शन में सर्वप्रथम गरियाबंद विकासखण्ड में मास्क निर्माण का कार्य बिहान की महिलाओं द्वारा प्रारंभ किया गया, तत्पश्चात जिले के सभी पांचों विकासखण्डों द्वारा मास्क निर्माण प्रारंभ किया गया है जो कि दो लेयर एवं एक लेयर मोटा कपड़ा रीयूजेबिल मास्क है, जिन्हें समूह की बहनों द्वारा सेनेटाइज कर विभिन्न शासकीय कार्यालयों में विक्रय किया गया। जिला प्रशासन द्वारा इन बहनों का उत्साहवर्धन करते हुए विभिन्न कार्यालयों जैसे- कलेक्टर कार्यालय, जिला पंचायत , स्वास्थ्य विभाग, विपणन संघ एवं नगरपालिका परिषद में हजारो की संख्या में बहनों से मास्क खरीदे गये और इसे मजदूरों एवं आमजनता को उपलब्ध कराया गया।

जिले के लगभग 40 स्वसहायता समूहों की 81 बहनों द्वारा अभी तक 36 हजार से अधिक मास्क बनाकर 4 लाख 32 हजार रूपये राशि अर्जित किया गया है। आगामी समय में बहनों द्वारा कपडे का दस्ताना बनाया जायेगा। इस प्रकार लॉकडाउन के दौरान भी बहनों को व्यक्तिमूलक आजीविका कार्य से सुनिश्चित किया जा रहा है।

बी.सी. सखी के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर लॉकडाउन की स्थिति में ग्रामीण बिहान अंतर्गत चयनित 67 बी.सी. सखियों ने मोर्चा संभाला जिन्होने सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए, शासन द्वारा जनधन खातों की राशि, मनरेगा मजदूरी का भुगतान, वनधन उत्पादों के विक्रय भुगतान, पेंशन आदि के संबंध में लोगों को राशि की उपलब्धता कराई जा रही है।

वर्तमान में जिले अंतर्गत 42 बी. सी. सखी सक्रिय रूप से कार्य कर रहे है, जिनके द्वारा 7 हजार 842 लेन-देन किया गया। राशि-1 करोड़ 3 लाख 82 हजार 313 रूपये का भुगतान बैंक के सहयोग से घर-घर जाकर कर रही है। इसके अलावा बहनों द्वारा निःशुल्क खाद्यान्न वितरण, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480